प्रकाशन हेतु अनुमोदित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

डब्लू. पी. संख्या 631/2005

डॉ. तनवीर अहमद, पिता स्वर्गीय श्री सिराज अहमद, उम्र 42 वर्ष, निवासी महामाया रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा |

--------- याचिकाकर्ता/वादी

विरुद्ध

1. **छ.ग राज्य द्वारा सचिव जनजाति विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर, जिला रायपुर. छ.ग.**
2. **सचिव, पशुपालन विभाग, डी. के. एस. भवन, रायपुर, जिला रायपुर. छ.ग.**
3. **छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास समिति, द्वारा राज्य कार्यक्रम निदेशक , देश बन्धु प्रेस के पास, मगरपारा, बिलासपुर, छ.ग |**
4. **श्री आर. एस तोमर, वरिष्ठ व्याख्याता, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग |**

-------- उत्तरवादीगण

एकल पीठ – माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

श्री प्रीतिंकर दिवाकर वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कुनाल दास अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से |

श्री पी. एस कोशी, उप महाधिवक्ता, उत्तरवादी क्र. 1 और 2 की ओर से |

श्री प्रशांत मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री जी के अग्रवाल, अधिवक्ता, ओर यशवंत सिंह ठाकुर, अधिवक्ता उत्तरवादी क्र. 3 के ओर से |

श्री रणबीर सिंह मरहास, अधिवक्ता उत्तरवादी क्र. 4 की ओर से |

आदेश

जनवरी 2006

निम्नलिखित आदेश माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री के द्वारा पारित किया गया

1. यह याचिका, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास समिति , बिलासपुर (संक्षेप में 'सोसाइटी') के राज्य कार्यक्रम निदेशक द्वारा जारी किए गए दिनांक 11.02.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/7)

को आक्षेपित करती है. इस आदेश के तहत, उत्तरवादी संख्या 4, वरिष्ठ व्याख्याता, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, अंबिकापुर को जिला कार्यक्रम प्रबंधक, के पद पर नियुक्त किया गया था और डॉ. तनवीर अहमद को छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया था |

2. मुख्य बातें (संक्षेप में) यह मामला इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता, जो पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के रूप में कार्यरत था, उसे 8.8.2002 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) द्वारा अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास कार्यक्रम के जिला कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तत्पश्चात् , 11.2.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/7) द्वारा, उत्तरवादी संख्या 4, जो शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, अंबिकापुर में वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे, को याचिकाकर्ता के स्थान पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक, अंबिकापुर नियुक्त किया गया और याचिकाकर्ता को जिला कार्यक्रम प्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.02.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी/7) को आक्षेपित करते हुए यह याचिका दायर की है, जिसमें उक्त आदेश को रद्द करने और उत्तरवादी संख्या 1 से 3 को याचिकाकर्ता को परियोजना पूरी होने तक जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में अपनी प्रतिनियुक्ति का पूरा कार्यकाल पूरा करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रितंकर दिवाकर, के साथ श्री कुणाल दास, अधिवक्ता, ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति विज्ञापन दिनांक 01.05.2002 (अनुलग्नक पी/1) के आधार पर किए गए नियमित चयन के पश्चात् हुई थी। साक्षात्कार 01.07.2002 को विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा मध्य प्रदेश आदिवासी विकास सोसायटी (एम पी टी डी एस) के नियमों के नियम 43 के तहत तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार की मंजूरी से शासी निकाय द्वारा बनाए गए वित्तीय और प्रशासनिक विनियमों के अनुसार संचालित किया गया था। विनियमों का अध्याय (7) भर्ती और सेवा विनियमों से संबंधित है। यह तर्क दिया गया था कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक की नियुक्ति केवल प्रतिनियुक्ति पर ही की जा सकती है | याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ विज्ञापन दिनांक 01.05.2002 (अनुलग्नक पी/1) के अनुसरण में अंबिकापुर और

पत्थलगाँव (जशपुर) में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के दो पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और 08.08.2002 (अनुलग्नक पी/4) के आदेश के तहत उसे जिला कार्यक्रम प्रबंधक, अंबिकापुर के पद के लिए चयनित किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि मूल विभाग ने भी 28.03.2003 (अनुलग्नक पी/6) के पत्र द्वारा 'अनापत्ति' प्रदान की थी। उक्त आदेश सेवा विनियमों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति थी। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता की सेवा को कार्यकाल पूरा होने से पहले और मूल विभाग की अनुमति के बिना वापस मूल विभाग में नहीं भेजा जा सकता था। उत्तरवादी क्रमांक 4 की जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर उचित चयन प्रक्रिया का पालन किए बिना की गयी नियुक्ति दोषपूर्ण और अकृत है। उत्तरवादी क्रमांक 4 की नियुक्ति श्री शिव प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर की गई थी। 11.02.2005 का आदेश नियमित राज्य कार्यक्रम निदेशक की अनुपस्थिति में 10 दिनों की अवधि के लिए राज्य कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार संभालने वाले अधिकारी द्वारा जल्दबाजी में पारित की गयी थी। यह शक्तियों के दुर्भावनापूर्वक प्रयोग के समकक्ष है।

5. श्री प्रशांत मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, और उत्तरवादी क्र. 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जी. के. बेरीवाल ने इसके विपरीत प्रस्तुत किया कि यह सत्य है कि अंबिकापुर और पत्थलगांव (जशपुर) नामक दो स्थानों पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दूसरों के साथ प्रतिनियुक्ति पर इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता को अंबिकापुर में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया था और श्री ए. के. तिवारी को पत्थलगांव (जशपुर) में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया था। परंतु 01/05/2002 के विज्ञापन के अनुसरण,में चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। तत्कालीन राजस्व आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर द्वारा जारी 8 अगस्त, 2002 (अनुलग्नक पी/4) का नियुक्ति आदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि याचिकाकर्ता और श्री ए. के. तिवारी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया था, जबकि वे आगामी आदेश तक अपने मूल कार्य की जिम्मेदारियों को भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

देख रहे थे,। दिनांक 8.8.2002 का आदेश स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर नहीं थी, बल्कि यह केवल जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्य को अतिरिक्त रूप से देखने के लिए पदस्थापना थी, जबकि वे अपनी मूल नौकरी की जिम्मेदारियों को जारी रखते हुए कार्य कर रहे थे। । याचिकाकर्ता के कार्य के संबंध में कई शिकायतें थीं, क्योंकि वह नियमित बैठकों में उपस्थित नहीं हो रहे थे और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति और प्रगति समय पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। कार्यक्रम में याचिकाकर्ता की ओर से कोई ईमानदारी और लगन नहीं थी, सोसाइटी को याचिकाकर्ता के खिलाफ कई शिकायतें मिलीं। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम (इटली) मुख्यालय द्वारा वित्तपोषित देश की 8 परियोजनाओं में से एक है। परियोजना में किसी भी अधिकारी की ओर से शिथिलता और उदासीनता छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास सोसाइटी द्वारा सहन नहीं की जा सकती थी। तदनुसार, श्री शिव प्रसाद सिंह, जो सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होने के नाते सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, ने सरकार से याचिकाकर्ता के प्रदर्शन की जांच करने और उचित कदम उठाने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, तत्कालीन राज्य कार्यक्रम निदेशक को उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। नियमित राज्य कार्यक्रम अधिकारी श्री पी. सी. पांडे की अनुपस्थिति में, जो कार्यक्रम की मध्यवर्ती समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए आई.एफ.ए.डी. की बैठक में गए हुए थे, श्री सोनमणि बोरा को राज्य कार्यक्रम निदेशक नियुक्त किया गया था। नियमित कार्यवाही राज्य कार्यक्रम निदेशक श्री पी. सी. पांडे ने ही शुरू की थी और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, जो छत्तीसगढ़ विकास सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, को जानकारी प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ कई शिकायतें (अनुलग्नक आर/1-5) की गई थीं।

6. अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 11.02.2005 का आदेश (अनुलग्नक पी/7) स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह आदेश मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन और अध्यक्ष, जनजातीय विकास सोसायटी, रायपुर के अनुमोदन के बाद पारित किया गया था। श्री आर.एस. तोमर को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जनार्दन देबनाथ**[1] में उच्चतम न्यायलय द्वारा दिये गये निर्णय का अवलंब लिया कि अक्षमता या शिकायत के

[1] 2004 (4) S.C.C 244

आधार पर किसी व्यक्ति के स्थानांतरण/पदस्थापन के मामले में, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति के स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित केवल एक प्रशासनिक आदेश है। याचिकाकर्ता को अपने मूल कार्य दायित्व पर बने रहते हुए अतिरिक्त प्रभार पर पदस्थ किया गया था। आक्षेपित आदेश ने याचिकाकर्ता से अतिरिक्त प्रभार को केवल वापस ले लिया है, जो जनजातीय विकास कार्यक्रम के हित में किया गया था।

7. उत्तरवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, साथ ही उत्तरवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, उत्तरवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा द्वारा दिए गए तर्कों को आत्मसात किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और याचिका व जवाब के साथ संलग्न कागजात, तथा छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास सोसायटी के दिनांक 04.02.2005 की नोट शीट और जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में याचिकाकर्ता को अतिरिक्त प्रभार पर पदस्थ करने से संबंधित अगली नोट शीट का अवलोकन किया है।

9. आदेश दिनांक 8/08/2002 (अनुलग्नक पी/4) स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को अंबिकापुर में पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के अपने मूल पद पर बने रहते हुए, छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत अंबिकापुर में जिला कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसमें यह नहीं कहा गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति का आदेश प्रतिनियुक्ति पर था। कार्यवाही के अवलोकन से, मैंने पाया है कि यद्यपि 1/05/2002 के विज्ञापन के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन करने के बाद उसका साक्षात्कार लिया गया था, परंतु आदेश आवेदन और उसके आधार पर संचालित साक्षात्कार के आधार पर पारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को जिला कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपने वाला यह 8/08/2002 का आदेश मूल विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी/6 दिनांक 28/03/2003 प्रदान किये जाने के पूर्व पारित किया गया था|

10. उच्चतम न्यायलय ने **उमापति चौधरी बनाम बिहार राज्य** एवं अन्य[2] के मामले में 'प्रतिनियुक्ति' को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:

"प्रतिनियुक्ति को उपयुक्त रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि किसी कर्मचारी (जिसे सामान्यतः प्रतिनियुक्त कर्मचारी कहा जाता है) को एक विभाग या संवर्ग या किसी संगठन (जिसे सामान्यतः मूल विभाग या उधार देने वाला प्राधिकारी कहा जाता है) से दूसरे विभाग, संवर्ग या संगठन (जिसे सामान्यतः प्राप्तकर्ता प्राधिकारी कहा जाता है) में कार्य करने के लिए भेजा जाता है। प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता लोक हित में लोक सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पन्न होती है। प्रतिनियुक्ति की अवधारणा सहमति आधारित होती है और इसमें कर्मचारी की सेवाओं को उधार देने के लिए नियोक्ता का स्वैच्छिक निर्णय तथा प्राप्तकर्ता नियोक्ता द्वारा उन सेवाओं को स्वीकार करना शामिल होता है। इसमें कर्मचारी की यह स्वीकृति भी शामिल होती है कि वह प्रतिनियुक्ति पर जाएगा या नहीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्तमान मामले में पशुपालन विभाग से आदिवासी कल्याण विभाग में सेवा का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। याचिकाकर्ता को केवल अपने मूल पद पर रहते हुए, समाज में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में, अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

11. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि 11.02.2005 का आक्षेपित आदेश श्री शिव प्रताप सिंह, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर पारित किया गया, स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। श्री शिव प्रताप सिंह, जो सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे और छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए भी जिम्मेदार थे, ने अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों के साथ शिकायतें की थीं। राज्य कार्यक्रम निदेशक ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव एवं छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा/उच्च शिक्षा सचिव/आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात याचिकाकर्ता से जिला कार्यक्रम प्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार वापस लेने का आदेश पारित किया है। यह आदेश प्रत्यावर्तन का आदेश नहीं है, बल्कि केवल अतिरिक्त प्रभार वापस लेने का आदेश है।

---

[2] 1999 (4) S.C.C 659

याचिकाकर्ता को परियोजना पूर्ण होने तक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य कार्यक्रम निदेशक द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 की नियुक्ति पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता क्योंकि उक्त नियुक्ति आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से की गई है।

12. "श्री सोनमणि बोरा, जो नियमित राज्य कार्यक्रम निदेशक की अनुपस्थिति में राज्य कार्यक्रम निदेशक का प्रभार संभाले हुए थे, 11.02.2005 की आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए सक्षम थे। शिकायतें नियमित राज्य कार्यक्रम निदेशक द्वारा प्रारंभ की गई थीं और आक्षेपित आदेश सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पारित किया गया था, अतः 11.02.2005 का आक्षेपित आदेश को दोषपूर्ण या अकृत नहीं माना जा सकता।"

13. उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा उच्चतम न्यायलय के निर्णय संघ बनाम जनार्दन देवनाथ (पूर्वोक्त) पर लिया गया अवलंब इस मामले के तथ्यों से सुसंगित नहीं हो सकता, फिर भी किसी कर्मचारी की किसी विशेष पद पर पदस्थ करना नियोक्ता का विशेषाधिकार होता है। नियोक्ता प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोक हित में किसी कर्मचारी की तैनाती करने के लिए पूरी तरह से न्यायोचित है। यदि पदस्थापना से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता या उस पर कोई दंडात्मक परिणाम लागू नहीं होता, तो इस स्थिति में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान मामले में अतिरिक्त प्रभार की वापसी से यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या इससे कोई दंडात्मक परिणाम उत्पन्न हुआ है।

14. उपरोक्त कारणों से, बिना किसी वाद व्यय के आदेश के साथ यह याचिका खारिज की जाती है|

सही/-
श्री सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायधीश
जनवरी 2006

--00--

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By RAKSHITA MISHRA.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur